


21-06-2004
4101
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण ...
दिनांक 18-01-2023 को किया जा चुका है।


उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल-तिजारा)



मुख्य अधिकारी तिजारा (अलवर) राज०
निवासीय अधिकारी भहेन्द्र सिंह (आर०ए०एस०)

तारीख दायर
21-06-2002

तारीख फैसला
18/01/2023

1/1 - श्री सुभाष चंद्र शर्मा (सुभाष)

1/2 - श्री सुभाष चंद्र शर्मा श्री सुभाष

1/3 - श्री सुभाष

1/4 - श्री सुभाष

1/5 - श्री सुभाष चंद्र शर्मा जाति अहीर निवासीगण ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर

2/1 - श्री सुभाष चंद्र शर्मा (सुभाष)

2/2 - श्री सुभाष चंद्र शर्मा श्री सुनीलाल

2/3 - श्री सुभाष चंद्र शर्मा श्री शीशाराम पुत्र स्व० श्री सुनीलाल

2/4 - श्री सुभाष

2/5 - श्री सुभाष

2/6 - श्री सुभाष

2/7 - श्री सुभाष चंद्र शर्मा श्री शीशाराम पुत्र स्व० श्री सुनीलाल

2/8 - श्री सुभाष चंद्र शर्मा श्री भगवाना पुत्र स्व० श्री सुनीलाल

2/9 - श्री सुभाष

2/10 - श्री सुभाष चंद्र शर्मा श्री भगवाना पुत्र स्व० श्री सुनीलाल

2/11 - श्री सुभाष चंद्र शर्मा श्री भगवाना पुत्र स्व० श्री सुनीलाल

2/12 - श्री सुभाष चंद्र शर्मा श्री बहादुरसिंह पुत्र स्व० श्री सुनीलाल

2/13 - श्री सुभाष चंद्र शर्मा श्री बहादुरसिंह पुत्र स्व० श्री सुनीलाल

2/14 - श्री सुभाष

2/15 - श्री सुभाष

2/16 - श्री सुभाष

2/17 - श्री सुभाष चंद्र शर्मा श्री बहादुरसिंह पुत्र स्व० श्री सुनीलाल जाति अहीर निवासीगण ग्राम
ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर

3/1 - श्री सुभाष चंद्र शर्मा (सुभाष)

3/2 - श्री सुभाष चंद्र शर्मा श्री सुभाष

3/3 - श्री सुभाष चंद्र शर्मा श्री सुभाष

3/4 - श्री सुभाष चंद्र शर्मा जाति अहीर निवासीगण ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर


मुख्य अधिकारी

जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर

बनाम

---:: वादीगण

01. मोहरसिंह पुत्र श्री डीगा जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवागी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

---:: प्रतिवादी

--: पर्चा डिकी ::-

विवादित हाल खसरा नम्बर 1364 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, 1365 रकबा 2 बिस्वा, 1366 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा कुल कित्ता 3 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा में वादी संख्या 1 के वारिसान संख्या 1/1 से 1/4 को 1/4 भाग का एवं वादी संख्या 2 के वारिसान 2/1 लगायत 2/16 को 1/4 भाग का एवं वादी संख्या 3 के वारिसान संख्या 3/1 लगायत 3/3 को 1/2 भाग एवं वादी संख्या 4 को 1/2 भाग दर 1/4 का एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जिसानुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण का अमल दरामद किया जावें एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण को उनके हिस्से से जबरन बेदखल ना करें एवं ना ही कब्जेकाश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करें, एवं ना ही गलत अमल की आड में आराजी जो रहन वय हिबा से मुन्तकिल करें। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें।



(महेन्द्र सिंह)

उपरखण्ड अधिकारी
उपरखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)